न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(डॉ0 भंवर लाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 03/2018
दायर दिनांकः 18.01.2018
निर्णय दिनांक 23.07.2024

—: अनवान :—

गोपीलाल पिता नानालाल जी जाती कुमावत आयु 52 वर्ष निवासी सनवाड, तहसील व जिला राजसमन्द

— निगराकार

बनाम

1. नारायणदास पिता मांगीलाल जाति वैष्णव आयु 60 वर्ष निवासी राजनगर हाल खोड़ी चावण्ड माता मन्दिर के पास, सनवाड, तहसील व जिला राजसमन्द
2. ग्राम पंचायत मुंडोल, जरिये सरपंच/सचिव मुंडोल तहसील व जिला राजसमन्द

— गैर निगराकार

कार्यालय ग्राम पंचायत मुण्डोल द्वारा दिनाक 30.04.1973 मिसल नम्बर 26 के द्वारा जारी पट्टा की रिविजन बाबत

उपस्थितः—

1— श्री बालकृष्ण बैरवा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार

2— अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा यह निगरानी याचिका विरुद्ध विपक्षीगण के धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के इस न्यायालय में दिनांकः 18.01.2018 को पेश की गयी हैं। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में यह निवेदन किया गया कि जब ग्राम पंचायत सनवाड़ लगती थी उस समय से ही प्रार्थी ने करीब 30 वर्षो से एक आबादी के भूखण्ड पर अपना कब्जा कर रखा है जिसके वर्तमान में पड़ोस पूर्व में चुन्नीलाल का मकान, पश्चिम में मोहमलाल का कब्जेशुदा बाड़ा, उत्तर में आम रास्ता व दक्षिण में आम रास्ता स्थित है उक्त प्लॉट में अपीलान्ट पिछले 30 वर्षो से बिना किसी निर्विघ्न के अपना उपयोग उपभोग कर रहा है उसमें अपने मवेशी वगैरह बांधता है, पशुओं के लिये घास पुस वगैराह पड़ी रहती है एवं घरेलु सामान, लकड़ी, कृषि औजार वगैरह पड़े रहते है इस हिसाब से अपीलान्ट का उक्त प्लॉट पर कब्जा है इस बात को सम्पूर्ण सनवाड़ के लोग जानते है एवं उसमें

न्यायालय जिला कलक्टर

किसी को कोई आपत्ति वगैराह नहीं है अपीलान्ट एक गरीब व्यक्ति है कानुनी जानकारी नहीं समझता है इसलिए आज तक कभी भी अपीलान्ट ने पट्टे के लिये आवेदन नहीं दिया है आज से करीब 15 साल पूर्व नगरपालिका राजसमन्द द्वारा कब्जेशुदा भूखण्ड का सर्वे कराया था जिसमें मुझ प्रार्थी का भी सनवाड़ गॉव में क्रम संख्या 8 पर उक्त बाड़ा नगरपालिका में कब्जे बाबत् दर्ज किया था इस प्रकार से अपीलान्ट पूर्ण रूप से प्रथम दृष्टया काबिज एवं कब्जा साबित है। पिछले कुछ समय से प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या एक नाजायज रूप से परेशान कर रहा था एवं आये दिन अपीलान्ट की दीवार गिरा देता था, मवेशियो को मारता पीटता था, सामान वगैराह फेंक देता था तो अपीलान्ट ने इसके पीछे का कारण जानना चाहा एवं नगर परिषद राजसमन्द में रेस्पोडेन्ट के दस्तावेज की जानकारी चाही तो निम्न दस्तावेज प्राप्त हुए जिनमें कार्यालय ग्राम पंचायत सनवाड़ द्वारा दिनांक 30.04.1973, मिसल नम्बर 26 का मोहनबाई पति नारायणदास का एक पट्टा प्राप्त हुआ जो प्रथम दृष्टया ही फर्जी प्रमाणित होता है क्योंकि आज से करीब 4 वर्ष पूर्व मोहन बाई की मृत्यु हो चुकी है एवं मोहन बाई की मृत्यु हुई तब उसकी उम्र 45 साल थी यानि 1973 से आज दिनांक 2014 तक मोहनबाई की उम्र 44 साल थी तो क्या मोहन बाई को ग्राम पंचायत ने मात्र दो साल की उम्र में ही पट्टा जारी कर दिया था जो एक विचारणीय बिन्दु है एवं प्रथम दृष्टया के आधार पर यह पट्टा फर्जी साबित होता है नगरपरिषद राजसमन्द द्वारा उक्त पट्टे के संबंध में दिनांक 07.09.2007 को एक नोटिस के द्वारा पट्टे की सम्पूर्ण पत्रावली कार्यालय प्रति केशबुक, मिसल नम्बर के संबंध में नोटिस जारी कर सूचना जाहिर कि जिसमें आप रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त नोटिस का जवाब दिनांक 11.03.2008 को नगरपालिका, राजसमन्द को प्रेषित किया एवं उस पर आपने किसी भी सूचना को देने से मना कर दिया एवं कहा कि यह सूचना हमारे पास नहीं है उसके बाद पुनः नगरपालिका राजसमन्द ने 06.03.2009 को उक्त फर्जी पट्टो के बारे में समस्त रिकॉर्ड की मांग कि लेकिन उसके बावजूद भी नगरपरिषद ने कोई जवाब नहीं दिया एवं न ही कोई दस्तावेज उपलब्ध कराये। एवं 1973 को खाता बही लेजर में आप द्वारा 30.04.1973 क्रम संख्या 39 पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने मनमाफिक 966/– रूपये का हवाला जोड़कर फर्जी बाड़े को प्रमाणित कर दिया एवं मृतका मोहनबाई मूल गांव सनवाड़ की न होकर राजनगर की थी एवं ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने सनवाड़ में मृतका को पट्टा किस हिसाब से जारी किया यह भी एक सोचने का विषय हैं। कार्यालय नगरपरिषद राजसमन्द द्वारा बार – बार मूल पत्रावली मांगने के बावजुद भी आप रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने इस संबंध में कोई भी दस्तावेज नगरपरिषद को उपलब्ध नही कराये। रेस्पोडेंट संख्या एक की पत्नि ने पूर्व में उक्त प्लॉट को विक्रय कर दिया था एवं विक्रेता ने नगरपरिषद राजसमन्द को निर्माण स्वीकृति झूठे तरीके से प्राप्त कर ली थी जिसको सम्पूर्ण ग्रामवासियों ने मिलकर उक्त फर्जी निर्माण स्वीकृति को दिनांक 19.05.2016 एक सूचना पत्र के जरिये नगरपरिषद को अवगत कराया कि कार्यालय की मूल बैठक रजिस्टर, मूल रसीद बुक, आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं एवं पूर्व सूचना उपलब्ध कराई थी उसको गलत समझा जावे इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने आपस में मिलीभगत कर भारी गलत व पद का दुरूपयोग किया हैं व फर्जी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या एक को फर्जी पट्टा जारी किया है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का बराबर हाथ है। अतः प्रार्थी की ओर से रिवीजन का प्रार्थना पत्र स्वीकार

करते हुए उक्त जारी फर्जी पट्टे को निरस्त कराये जाने का आदेश फरमाया जावे, अन्य कोई अनुतोष जो अपीलान्ट के हितकारी हो दिलाये जावे।

प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। लेकिन अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के लगातार अनुपस्थित होने से दिनांक 01.07.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

अधिवक्ता निगराकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निगरानी याचिका में लिए गए आधारो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सनवाड़ द्वारा दिनांक 30.04.1973, मिसल नम्बर 26 का मोहन बाई पति नारायणदास का एक पट्टा जारी हुआ जो प्रथम दृष्टया ही फर्जी प्रमाणित होता है क्योंकि आज से करीब 4 वर्ष पूर्व मोहनबाई की मृत्यु हो चुकी है एवं मोहनबाई की मृत्यु हुई तब उसकी उम्र 45 साल थी यानि 1973 से आज दिनांक 2014 तक मोहनबाई की उम्र 44 साल थी तो क्या मोहनबाई को ग्राम पंचायत ने दो साल की उम्र में ही पट्टा जारी कर दिया था जो एक विचारणीय बिन्दु है। 1973 को खाता बही लेजर में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.04.1973 क्रम संख्या 39 पर अप्रार्थी संख्या 2 ने मन माफिक 966/– रूपये का हवाला जोड़कर फर्जी बाड़े को प्रमाणित कर दिया एवं मृतका मोहनबाई गांव सनवाड़ की न होकर राजनगर की थी एवं ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 2 ने सनवाड़ में मृतका को पट्टा किस हिसाब से जारी किया यह भी एक सोचने का विषय हैं। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी लेजर बुक में सम्पूर्ण विवरण एक–एक पट्टे के अलग–अलग अंकित है जबकि दिनांक 30.04.1973 को अलग स्याही से अंकित कर रखा है इस हिसाब से पुरा प्रकरण ही फर्जी साबित हो रहा है। अतः उक्त निगरानी याचिका को स्वीकार करते हुए उक्त जारी फर्जी पट्टे को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता निगराकार की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत मुण्डोल द्वारा उक्त पट्टा मोहन बाई पत्नि नारायणदास वैरागी के पक्ष में जारी किया गया है तथा स्वयं निगराकार द्वारा उक्त पट्टेधारी मोहन बाई की मृत्यु निगरानी प्रस्तुत करने के चार वर्ष पूर्व होना जाहिर करते हुए यह निगरानी प्रस्तुत की हैं और मोहन बाई के पति को पक्षकार बनाते हुए निगरानी याचिका प्रस्तुत की हैं साथ ही 30.04.1793 को जारी पट्टे की निगरानी दिनांक 17.01.2018 को अर्थात 40 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की हैं और पट्टा निरस्त करने के लिए नगर परिषद राजसमन्द को भी प्रतिवेदन पेश करना जाहिर आया हैं। अप्रार्थी संख्या 01 की तामिल में भी यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि मोहनी देवी ने उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड मंजुदेवी पत्नि मोहन लाल कुमावत को विक्रय कर दिया हैं। ग्राम पंचायत मुण्डोल से प्राप्त पत्रावली से भी मोहन

न्यायालय जिला कलक्टर

बाई के पक्ष में पट्टा जारी किया जाना पाया गया हैं। निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी में निगराकार द्वारा उक्त पट्टेशुदा भुमि पट्टाधारी द्वारा विक्रय करने की जानकारी होते हुए भी मंजुदेवी पत्नि मोहन लाल कुमावत को पक्षकार नही बनाया एवं 40 वर्ष की देरी से यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई हैं। उक्त देरी का भी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण पत्रावली के साथ प्रस्तुत नही किया हैं। इसलिए प्रस्तुत निगरानी याचिका आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।

(डॉ0 भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 23.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)